

मुं नं ०५ श्रीमती राजेश कान्त सीमावती
२०२२ अपील नमान्त (मरण)

2.12.22 अधिकृत पक्ष उपस्थित।
अभिभाषण के लिए कार्य स्थगित
रखा है। अधिकारी अन्य
कार्य में अतः पत्रावली
दिनांक 28/12/22 को पत्रावली

16/12/22 पत्रावली आज उच्च कोर्ट में
पेश हुई। उच्च पक्ष आर्स्टिफिकेशन
अर्चि अवकाश अपीलान्ट को रजिस्ट्रार के
रेफरेंस नं. 10-1 को उच्च सीमावती
गण। तथा पत्रावली पर अप-
लट्ट (नोट) का अवेकेशन
(विम) प्रेनाग्न भूमि का
नमान्त (मरण) नं. 1068 उच्च
की लपुन स (पंच) उच्च पंचाक्ष
ने बिना किसी कारण उच्च
नमान्त (मरण) को रजिस्ट्रार के
तकिया गण। अर्चि अपीलान्ट
का दिनांक 5.8.2020 का
रजिस्ट्रार विवेक-पत्र है। नमान्त
बता है पत्रावली हस्ता ने विवेक
पत्र अ-कुल अवेकेशन लकी एका
कान्त है। इससे स्पष्ट गारडी-

04
2022

श्रीमती (जि.स. वसुधा लाल देवी)
अपील नमातालय

है कि सार्वजनिक गुण प्रदान करने के लिए
निर्दिष्ट कार्य करने की नीति
के विपरीत जारी नमातालय
लागू नहीं है। जो कि
बिना है।

इस अपील अपीलार्थ लीटर में
जारी नमातालय, वसुधा लाल देवी
को प्रेषित कर निर्देश देकर जारी
है कि पक्षधारण के अनुसार
लाभ लेने में समुचित अवकाश
प्रदान करने हुए निर्देश दि. 16/12/22
को अतः
अपीलार्थ वसुधा लाल देवी को
दत्त नहीं जाये। पालनाथ निर्देश
में कि लीटर के साथ एक
प्रति को लावनी निर्देश जारी
है कि एक ही काम है।

निर्देश दि. 16/12/22 को
कार्य के अनुसार जारी

उपखण्ड अधिकारी
कोरपुतली (जयपुर)